



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 39/2018

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|---|------|---|
| गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा, राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह मार्ग जयपुर |

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ए. के. हस्ताना, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 03-01-2017 के द्वारा बजट भाषण दिनांक 08-03-2016 के पेज संख्या 36 व 37 की गई घोषणाओं पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने इसी सूचना के बाबत पूर्व में तीन द्वितीय अपीलों की है जिनका निर्णय आयोग द्वारा किया जा चुका है। जैसे- अपील संख्या 7213/2017 निर्णय दिनांक 13-11-2017, अपील संख्या 7677/2017 निर्णय दिनांक 19-01-2018 से अपील खारिज की गई है। सूचना को प्रदत्त माना गया है। इनके अनुरूप ही यह आवेदन है अतः हस्तगत अपील को भी खारिज करने का निवेदन है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 20-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ द्वितीय अपील के निर्णय दिनांक 13-11-2017 व 19-01-2018 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त